क्रम-संख्या-189

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1408 / 79-वि-1–16-1(क)-30-2016

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ज) एक विश्वविद्यालय जिसे जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के रूप में जाना जायेगा;"

धारा 50 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"(1-ङ) जब तक कि इस धारा के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"

धारा 52 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(2-घ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम-संख्या-10 पर अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

10-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	
(1) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना होने तक	बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र और वाराणसी जिले।
(2) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना हो जाने पर	चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र और वाराणसी जिले।

(ख) क्रम-संख्या-13 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम-संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"14-जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया"	जिला बलिया।

कठिनाइयों को दूर किया जाना

6-राज्य सरकार, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना से सम्बन्धित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

जिला बलिया उत्तर प्रदेश का सुदूरपूर्व स्थित जिला है। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालय-दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, जिला बलिया से दूर स्थित हैं। जिला बलिया शैक्षणिक रूप से एक पिछड़ा हुआ जिला है। जिला बलिया के समीपवर्ती क्षेत्र के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिला बलिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर का जन्म स्थान है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में जिला बलिया में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या [illegible] /सत्तर-1-2016-20(2)/2016 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : [illegible] दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया स्थापित होगा।

2- उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे महाविद्यालय के किसी छात्र, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था या उसके लिये परीक्षा में बैठने के लिये पात्र था, के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा तथा ऐसी परीक्षा का फल घोषित करेगा और तदुपरान्त जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिये सक्षम होगा।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।